



IAS

सामान्य अध्ययन पेपर - III

भाग - III



विषय-सूची

आंतरिक सुरक्षा

1. आंतरिक सुरक्षा	1
2. विकास व उद्योग	6
3. सीमा-प्रबंधन	24
4. संगठित अपराध का वर्गीकरण	40
5. इस्लामिक जेहाद और भारत की सुरक्षा	45
6. घनशोधन	50
7. सूचना संचार तकनीक और आंतरिक सुरक्षा की चुनौती	56
8. विभिन्न सुरक्षा बल और उनके अधिदेश	61

पर्यावरण, जैव-विविधता

1. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	63
2. पर्यावरणवाद	65
3. जनसंख्या	70
4. प्रवासन	75
5. समुदाय	76
6. पारिस्थितिक तंत्र	79
7. जलवायु परिवर्तन	85
8. विश्व में पर्यावरण आंदोलन	98
9. कृषि व पर्यावरण	112
10. भारत में हरित क्रांति	117
11. भारत में पर्यावरणीय आंदोलन	120
12. ओजोन परत	122
13. जैव-विविधता	127

14. प्राकृतिक चक्र	133
15. प्रदूषण	135
16. बायोचार	134
17. भारत में जैव-विविधता हॉट-स्पॉट	142

आंतरिक सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा - मूल अवधारणा

अर्थ/बाह्य सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य

आंतरिक सुरक्षा से जुड़े दृष्टिकोण या आयाम

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का विकास के बाद आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विभिन्न कारण - आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विकास के कारण निवारक सिद्धांत -

आंतरिक सुरक्षा का अर्थ :-

21 वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा निरंतर नए आयामों से जुड़ रही है। पहले इसका स्वरूप राष्ट्रीय हुआ करता था। अब यह पर-राष्ट्रीय (Trans National) व वैश्विक (Global) हो गई।

National Security राष्ट्रीय सुरक्षा

Trans National पर-राष्ट्रीय

Global Security वैश्विक सुरक्षा

इन चुनौतियों के उभरने में वैश्वीकरण व अपराध के आधुनिकीकरण दोनों की भूमिका है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर खोडन के खुलासे व ISIS के उभार से नवीन चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। खोडन का खुलासा Cyber Security व ISIS -Global Security आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों को जानने से पहले इस मूल अवधारणा पर विचार आवश्यक है-

आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य है किसी देश की सीमाओं के अंदर स्थापित सुरक्षा जो लोकव्यवस्था को निम्न बिंदुओं पर पृथक किया जा सकता है।

अंतर :-

आंतरिक सुरक्षा

1. सीमाओं के अंदर सुरक्षा
2. कारण :- मुख्य रूप से आंतरिक देश के अंदर की समस्याएँ होती हैं।
3. उद्देश्य-लोकव्यवस्था शांति व्यवस्था
4. Home ministry- Para military Forces, Police के माध्यम से

बाह्य सुरक्षा

1. सीमाओं की सुरक्षा
2. कारण :- मुख्य रूप से बाह्य देश के बाहर की सुरक्षा
3. देश की संप्रभुता- एकता व अखंडता की रक्षा करना
4. बाह्य सुरक्षा :-Defence Ministry सेना के विभिन्न अंगों व संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

क्रांतिक सुरक्षा के उद्देश्य निम्न बिंदुओं पर समझे जा सकते हैं।

1. देश के अंदर लोकव्यवस्था व शांतिव्यवस्था
2. भयमुक्त वातावरण का निर्माण
3. विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण
4. सामाजिक शौहार्द व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को लाना
5. संकीर्ण भावनाओं में नियंत्रण (जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद)
6. विधि के शासन की स्थापना
7. देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना।

क्रांतिक सुरक्षा-बाह्य सुरक्षा में अंतर्संबंध या उन्हें देखने का दृष्टि कोण:-

क्रांतिक सुरक्षा को एकांकी रूप में परिभाषित या स्थापित नहीं कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा चार रूपों में परिभाषित होती है:-

1. क्रांतिक चुनौतियाँ:- वर्तमान में नक्सलवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद
2. बाह्य चुनौतियाँ:- वर्तमान में श्रवैध अस्त्रवहन हथियारों या मादक द्रव्यों की तस्करी
3. क्रांतिक सह बाह्य :- यह वह स्थिति है। जब देश के अंदर की परिस्थितियाँ या देश के अंदर के शत्रु देश के बाहर के शत्रुओं की मदद करते हैं। वर्तमान शासन व्यवस्था से संतुष्ट वर्ग जब बाहरी शत्रुओं जैसे- ISIS, ISI अलकायदा आदि आतंकवादी संगठनों का सहयोग करता है। उन्हें देश के अंदर उन्माद फैलाने में आतंकी घटनाओं को फैलाने में मदद करता है। उदा. ताज की घटना, संसद पर हमला, मुंबई बम विस्फोट।
4. बाह्य सह क्रांतिक:- इसमें देश के बाहर के शत्रु देश के अंदर की सुरक्षा चुनौतियों को गंभीर बनाने में सहयोग करते हैं। वे क्रांतिक अंतोष को उग्र बनाते हैं और आर्थिक हथियारों से मदद करते हैं, आर्थिक, तकनीकी, सामरिक मदद भी करते हैं।

उदा.- मुजाफ्फरनगर की घटना के बाद भर्ती अभियान चलाना, ISIS के द्वारा भारतीय युवाओं को बहकाना।

उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अंतोष चीन, वर्मा, बांग्लादेश से मदद करना।

इस प्रकार क्रांतिक सुरक्षा चुनौतियाँ अलग देखी नहीं जा सकती। वैश्वीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने इन्हें आपस में इतना जोड़ दिया है, कि कौन-सी चुनौती क्रांतिक है, कौन सी बाह्य। इन्हें अलग पहचानना अत्यंत मुश्किल है। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कौटिल्य वर्णित चारों चुनौतियों के रूप भारत में दिखाई देते हैं।

भारत में क्रांतिक सुरक्षा की चुनौतियों का विकास :-

भारत में क्रांतिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एक दीर्घकालिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम हैं। ब्रिटिश के समक्ष क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन और संप्रदायिकता क्रांतिक सुरक्षा की चुनौतियों के रूप में थे। 1940 के पहले उनके कुशल नियंत्रण से अराजकता की स्थिति दिखाई नहीं देती

हैं 40 के दशक में पाकिस्तान आन्दोलन आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियाँ विशाल से मिलती हैं जैसे-

1. शरणार्थियों का संघर्ष
2. सांप्रदायिक संघर्ष (विभाजन के दौरान)
3. रियासतों के एकीकरण के आन्दोलन
4. पाकिस्तान सृजित कश्मीर का हमला - कश्मीर की सुरक्षा
5. भाषायी राज्यों का संघर्ष
6. आर्थिक वचन (कश्मीर गरीब की खाई)
7. सामाजिक वचन

1956 में भाषायी पुनर्गठन से क्षेत्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो गई इसी प्रकार भूमि सुधार कानूनों से हमने वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि बना दी गई जो 1960 का दशक आंतरिक सुरक्षा की गंभीरतम चुनौती को सामने लाता है जैसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का पृथकीय आघात पर गठन हुआ जिन्होंने अपने संकीर्ण हितों के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषायी संघर्ष और सांप्रदायिकता को भी उभारा

70 का दशक:- 70 के दशक की शुरुआत बांग्लादेश युद्ध के साथ होती है, जिसने बांग्लादेशी शरणार्थियों के रूप में उत्तर-पूर्व के राज्यों में व उत्तर राज्यों में आंतरिक संघर्ष को उभारा वर्तमान में इन्हीं में से अनेक अवैध शरणार्थी सम्पूर्ण राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं वर्धमान विस्फोट-2014 दिसम्बर के अंश के दंगे से बांग्लादेशी शरणार्थियों को पकड़ा जाना 70 के दशक में ही जे पी का शिविल लोसाइटी आन्दोलन किसी ना किसी रूप में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियाँ भी आंतरिक असंतोष को गहरा करती हैं

उदा.- आंतरिक सह बाह्य व बाह्य सह आंतरिक

80 का दशक :- 1980 का दशक अलगाववाद की विशेष चुनौती लेकर सामने आता है, जैसे खालिस्तान आन्दोलन कहते हैं इसके कारण आंतरिक व बाह्य दोनों थे इसके परिणाम स्वरूप आपरेशन ब्लूस्टार उसके प्रति उत्तर में इंदिरा गांधी की हत्या इन घटनाओं ने निरंतर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को गंभीर किया

1981 में राजीव गांधी का श्रीलंका में शांति सेना भेजने का निर्णय भारतीय तमिलों के असंतोष का कारण बना इसी दौर में राम जन्म भूमि आन्दोलन रथ यात्रा सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाती है जिसकी परिणती (अंत) बाबरी मस्जिद विघटन की दुःखद घटना के रूप में सामने आती है

90 का दशक :- 90 के दशक की शुरुआत बाबरी विघटन के बाद उभरे सांप्रदायिक तनाव से होती है जो बम्बई बम विस्फोट उसके बाद हुए दंगे और इस्लामिक कट्टरवाद के उभार को जन्म देती है इसके बाद भारत में धार्मिक अहिंसुता एक स्थायी स्थिति बन जाती है, जो गोघरा 2002 व 2012 मुजाफ्फरनगर दंगे व हाल की दादरी घटना 2015 में दिखती है और अब इस्लामिक कट्टरवाद ही नहीं

तथा कथित उग्र हिन्दू राष्ट्रवाद जिसे हम भगवा राष्ट्रवाद श्रांतकवाद कह रहे हैं, भारत की श्रांतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। 21वीं शदी में श्रांतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ विशिष्ट या वैश्विक व गंभीर प्रतीत होती हैं जिसके मूल में

1. LPG का अंतोष है
2. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अंतोष
3. आर्थिक अपराधों का आधुनिकीकरण है
4. वैश्विक संगठित अपराध है
5. वैश्विक श्रांतकवाद है—(Global Lessorism)
6. राष्ट्रों के बीच उभरता संप्रभुता व सीमाओं का विवाद है

सीरिया की लडाईं

श्रांतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विविध रूप—

श्रांतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के विकास के कारण:-

भारत में श्रांतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ विविध रूपों में दिखाई देती हैं। ये विशिष्ट प्रशासनिक राजनैतिक अक्षमता का परिणाम हैं। लेकिन इसे सिर्फ प्रशासनिक तंत्र की सीमाओं से जोड़कर देखना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यह राजनीतिक तंत्र की नीतिगत विफलता का परिणाम है। इसके मूल में सामाजिक-आर्थिक वंचन की भावना है जो नागरिक अंतोष को उग्ररूप में सामने लाती है। तकनीकों का दुरुपयोग जैसी चुनौतियों का आघार है और सांस्कृतिक अक्षमता की भावना नृजातीय तनाव को बढ़ा रही है। लेकिन अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण कारण तो नैतिक मूल्यों के पतन में छिपा है।

जब सरकार व नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों से विमुख हो जायेंगे तब श्रांतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलना स्वभाविक है।

श्रांतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के निवारण के सिद्धांत -

1. राजनीतिक सहभागिता का सिद्धांत :-
देश के अंदर नियमित चुनाव करवाना , अंतुष्टों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ना पंचायती राज को प्रभावी बनाना , वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
उदा. दार्जिलिंग हिल Council की स्थापना
2. प्रशासनिक कार्यकुशलता का सिद्धांत- जब प्रशासन जवाबदेह, पारदर्शी, जनोन्मुखी होगा
3. सांस्कृतिक संरक्षण का सिद्धांत- Article 29, 30 संविधान में सकारात्मक सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण जरूरी है। यह संवैधानिक वैधानिक प्रावधान तथा सभी वर्गों का सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण जरूरी है। बशर्ते वह तार्किक व नैतिक हो।
4. सामाजिक उत्थान का सिद्धांत- गरीबी बेरोजगारी वंचन की भावना को समाप्त किया जा सकत
5. वैधानिक दबाव का सिद्धांत - न्याय प्रक्रिया को इसके अंतर्गत कठोर बनाया जाए, तीव्र न्याय प्रक्रिया विधिक जागरूकता कल्याणकारी तकनीक का सिद्धांत तकनीक मूल्यतटस्थ होती है। सदुपयोग व दुरुपयोग भी हो सकता है। मानव कल्याण के लिए हो।

आर्थिक समानता का सिद्धांत- आर्थिक समानता वंचन नहीं होगा
दायित्व बोध का सिद्धांत- नागरिक राष्ट्र के प्रति कानून व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
और विधि के शासन का पालन करें।

संवैधानिक दायित्वों का सिद्धांत -

कानूनी प्रभाव देना FR की स्थापना भाग 3 के मूल अधिकारों का न्यायलय में प्रवर्तनीय होना। Article 244 अनुच्छेद 5 व 6 प्रस्तावना में चार उद्देश्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व न्याय को उद्देश्यों को परिभाषित करना। भाग 4 में, समाजवादी, गांधीवादी उद्देश्यों के साथ सरकार पर नैतिक दबाव,

भाग 10-

244 अनुच्छेद- क्षेत्रों के प्रशासन की विशेष व्यवस्था जिसके लिए अनुच्छेद 5 व 6 बनाई गई।

भाग 16-

Article 330 to 342 वंचित वर्गों के कल्याण से जुड़े विशेष प्रावधान ।

भाग 41-

पंचायती राज द्वारा वंचितों का संशक्तिकरण PESA के द्वारा Sch. Area में इनको विस्तारित किया जाना।

भाग 18-

आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से आंतरिक अशांति के नियंत्रण का अभाव।

भाग 21-


3 राज्यों के राज्यपालों द्वारा विशेष दायित्व 2 राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए N-E

विकास व उग्रवाद

विकास व उग्रवाद - नक्सलवाद

वैचारिक उग्रता (उग्रवाद) + हिंसा - आतंकवाद

आतंकवाद + जनसमर्थन - अलगाववाद



विकास से उग्रवाद को जन्म

नक्सलवाद - आतंकवाद (नक्सलवादी क्षेत्र) - उग्रविचारधारा- वर्ग संघर्ष भूमिहीनों का संघर्ष- भूमिधर व भूमिहीनों का शोषण- सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है- जनसमर्थन- अलगाववाद

संकल्पना-

एक कल्याणकारी राज्य में सर्वांगीण विकास की अपेक्षा की जाती है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है- राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास जिसे हम राजनीतिक (लोकतंत्र), आर्थिक (सहाई), सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पोषण), सांस्कृतिक, प्रशासनिक (सुशासन), तकनीक वैधानिक के रूप में देखते हैं। लेकिन विकास के विकास असंतुलित असमान नजर आता है तो वंचितों का असंतोष एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और यही असंतोष उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के रूप में सामने आता है। ये उग्र आतंक, अलगाववाद मूलतः एक विचारधारा पर आधारित संघर्ष है, जो वर्तमान व्यवस्था से अपने असंतोष को जाहिर करता है, और व्यवस्था परिवर्तन या सुधार के लिए संघर्ष करता है।

विकास व उग्रवाद अंतर्संबंध :-

विकास व उग्रवाद के अंतर्संबंधों को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। स्वतंत्र दृष्टिकोण के अनुसार ये दोनों एक दूसरे से पृथक अवधारणाएँ हैं। यह सच है अल्प विकास उग्रवाद का एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं। उग्रवाद के मूल में अल्पविकास से अलग, अनेक राजनीतिक प्रशासनिक या नृजातीय कारण भी होते हैं।

निर्भरदृष्टिकोण (Dependary approach) :-

इसके अनुसार विकास व अग्रवाद की अवधारणा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुडी है। यहाँ दोनों अवधारणाओं को विस्तृत संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। विकास सर्वांगीण व समावेशी रूप में प्रस्तुत होता है। और अग्रवाद आंतकवाद, अलगवावाद, क्षेत्रवाद जातिवाद जैसे विविध रूपों में विकास के जिस रूप में वचन होगा, अग्रवाद का उससे संबंधित रूप उभरकर सामने आएगा। सांस्कृतिक वचन का परिणाम संप्रदायवाद, जातिवाद होगा। आर्थिक वचन का परिणाम नक्सलवाद, क्षेत्रवाद होगा। और राजनैतिक व प्रशासनिक वचन का परिणाम अलगवावाद, आंतकवाद के रूप में दिखाई देगा।

उल्लेखनीय है कि विकास व अग्रवाद का संबंध एक पक्षीय नहीं है, जहाँ एक ओर विकास से वचन अग्रवाद को जन्म देता है। दूसरी ओर अग्रवाद से उत्पन्न भय व असुरक्षा का वातावरण विकास को बाधित करता है। अग्रवाद से जुड़े लोग अपने जनसमर्थन को बनाए रखने के लिए विकास कार्यों को पूरा नहीं होने देते ताकि स्थानीय जनता में वचन की भावना बनी रहे और वे वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट रहें।

इस प्रकार हम देखते हैं, अल्प विकास व अग्रवाद एक दुष्चक्र को जन्म देते हैं। जहाँ दोनों एक दूसरे के कारण व परिणाम हैं। और उनके अंतर्संबंधों को अंडे मुर्गी संबंध के रूप में देखा जाता है।

वामपंथी अग्रवाद या नक्सलवाद

मूल अवधारणा (विचारधारा)/(उद्देश्य)

उद्देश्य, विकास

कारण/प्रकार

रणनीति/कार्यक्रम

प्रभावों/परिणामों

प्रकार - वैधानिक

- अविधानिक

- प्रशासनिक

- संस्थागत

- सफल उदाहरण

मूल अवधारणा :-

नक्सलवाद का प्रारंभ एक विचारत्मक सामाजिक आर्थिक संघर्ष के रूप में हुआ, जिसकी विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद से प्रभावित थी, इसलिए इसे वामपंथी अग्रवाद कहा गया। इसका उद्देश्य वर्ग संघर्ष के द्वारा सर्वहारा वर्ग की शक्ति को स्थापित करना था, जिसे इन्होंने जनसत्कार का नाम दिया।

पहला चरण :- नक्सलवाद के मूल में भूमिहीनों का भूमिहीनों के खिलाफ संघर्ष प्रमुख था, जो भूमि सुधारों की असफलता से जुड़ा हुआ था। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा जब भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया तो वामपंथी प्रभाव वाले राज्यों में सर्वहारा वर्ग (जमीन नहीं है) की चेतना, (केरल, त्रिपुरा, पं.बंगाल) अग्र रूप में सामने आई। बंगाल के दार्जिलिंग जिले के तीन क्षेत्रों फांसीदेवा, खाडीबाडी, नक्सलवादी में चाय बागान मालिकों ने पुलिस से गठजोड़ कर जब निरीह मजदूरों

की हत्या की, तो शिलीगुडी किसान शभा के एक सदस्य जंगल शंमाल ने पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। नक्सलबाडी में एक आदिवासी किसान विमल को कोर्ट के आदेश के बावजूद जमींदारों ने जमीन का कब्जा नहीं सौंपा तो उस गाँव के किसानों ने जमींदार की संपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया। किसानों व मजदूरों को इस असंतोष को स्थानीय वामपंथी नेताओं ने अपना समर्थन दिया और CPM की दार्जिलिंग इकाई के जिला संयोजक चारु मजूमदार ने तर्क दस्तावेज के नाम से 8 लेख प्रकाशित किए।

जो नक्सलवाद की विचारधारा के सर्वोच्च दस्तावेज कहलाते हैं। कानू शास्त्राल नामक वामपंथी नेता ने 1969 में साम्यवादी क्रांति के लिए एक संस्था बनाई जिसे CPI ML (माले) - मार्क्सवादी-लेनिननवादी) इस संस्था ने नक्सलवाद को संगठित ढंग प्रदान किया। तत्पश्चात् नक्सलवादी आंदोलन धीरे धीरे बंगाल के बाहर प्रसारित होने लगा और 1970 आते आते बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुख्य रूप से इसका प्रभाव दिखाई दिया। तात्कालिक सरकार ने सेना का (General सैन्य मामला के नेतृत्व में) प्रयोग कर उन्हें समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया और 1972 आते आते यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। और इसकी शेष शक्ति आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिए गए।

नक्सलवाद का उदय/विकास :

1967 से 1975 पहला चरण

1980 से 2004 द्वितीय चरण


2004 के बाद

दूसरा चरण - नक्सलवाद के उभार का दूसरा चरण 1980 के बाद दिखाई देता है, जब कोंडापल्ली सीताशर्मा के नेतृत्व में PWG (Peoples was Group) का गठन होता है, इसका केन्द्र करीमनगर बनता है और त्रिशंगम सिद्धांत पर नक्सलवाद, आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र में प्रसारित होता है। भौगोलिक जटिलता (पहाड जंगल) व राजनैतिक समन्वय का अभाव इसे उभारने में मदद करता है, लेकिन 90 की शुरुआत में जब जनार्दन रेड्डी आंध्र के C.M. बनते हैं तब PWG में Ban लगाया जाता है। Unlawful Prevention act 1967 (गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून) के तहत प्रभावी गिरफ्तारियों की जाती हैं जिससे आंध्र में कुछ नियंत्रण संभव होता है। लेकिन तब तक नक्सली CG के बसंत क्षेत्र में अपना आधार मजबूत कर लेते हैं। इसी दौर में बिहार में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद के एक नए रूप को सामने लाता है, जिसे MCC (दलित) बनाम रणवीर सेना (उच्चजाति) के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार नक्सलवाद बिहार के अलावा, नेपाल के माओवादियों से भी नैतिक व सामरिक समर्थन जुटाता है। व 2000 आते आते नक्सलवाद पशुपति से तिरुपति तक एक लाल गलियारों का (Red corridor) का निर्माण कर चुका होता है। इस दौर में LPG की नीतियों और उसके उभार वंचन नक्सलियों के वन अधिकारों, भूमि अधिकार, विस्थापन भूमि-अधिग्रहण को मुद्दा बनाकर उन्हें व्यवस्था के खिलाफ करते हैं।

2000 के शुरुआत में नक्सलियों की आपसी लड़ाई, नेतृत्व संघर्ष, इनके दमन का अवसर देता है। लेकिन सरकार इसे भुना नहीं पाती और 2004 में नक्सली नेताओं में पुनः सहमति हो जाती है। PWG और MCC का आपस में मिलकर CPIM बना लेते हैं जिससे इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है।

तीसरा चरण :- यह 2004 के बाद दिखाई देता है, जब नक्सलवाद, आतंकवाद का पर्याय बन जाता है- हत्याएं, हफ्तावशूली व समानान्तर जन सरकारें नक्सलवाद के केंद्र में होती हैं। और गीदम घाटी दर्माघाटी में जघन्य हत्याएं या नरसंहार नक्सलियों के द्वारा किए जाते हैं। इसी दौर में नक्सलवादी Golden Triangle / Golden Corridor का निर्माण करते हैं, जो Pune, Ahmedabad, Jaipur के बीच स्थानीय आदिवासियों को प्रभावित करके बनाया जाता है। अब नक्सलवाद, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के साथ पश्चिमी भारत में भी फैल चुका। लगभग पूरा भारत नक्सलवाद व अलगाववाद की चपेट में दिखाई देता व अज्ञात नजर आता है। और 2006 में पूर्व PM मनमोहन सिंह को यह स्वीकारना पड़ता है कि नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

वर्तमान में भी देश के 20 राज्यों में 223 जिलों में 460 पुलिस स्टेशन में नक्सलवाद के प्रभाव को स्वीकार किया गया है, जिसमें 7 राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित बताया गया है - Bihar, Bengal, Jharkhand, Odisha, CA, Andhra + Telangana and Maharashtra- इन राज्यों में नक्सली एक व्यवस्थित रणनीति और कार्यक्रम के तहत अपनी समानान्तर सरकार चलाते हैं।



नक्सलियों के द्वारा अपने आंदोलन की शुरुआत बुद्धिजीवी आंदोलन से की, जिससे देशभर से बुद्धिजीवियों का नैतिक समर्थन जुटाया गया और फिर उनकी सहायता से अपना जनाधार बनाया गया।

दूसरे चरण में नक्सली पुलिस बल व सशस्त्र बल पर हमले करके भय व आतंक का वातावरण बनाते हैं। और जनता के बीच एक व्यवस्थित भर्ती अभियान भी चलाते हैं।

तीसरे चरण में नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रशासनिक तंत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और जनसंस्कार स्थापित करते हैं। जन अदालतें लगाते हैं। भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती देते हैं।

व्यवहार

- तैयारी चरण (Preparation)
- प्रदर्शन (Jenorisiraton)
- गुरिल्ला युद्ध (Gorriila War)
- जन सरकार (People Govt)

कार्यप्रणाली :-

कार्यप्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले सरकारी प्रशासनिक संस्थानों में हमले दूर- पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों पर हमले तीसरा- शार्वजनिक व्यवस्था से जुडी संस्थानों को नुकसान चौथा- Systmatic Brain Wash (व्यवस्थित मानसिक परिवर्तन)। 5th सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान। 6th बुद्धिजीवियों के बीच समर्थन जुटाना। 7th गरीबों, बेराजगारों को प्रलोभन। 8th:- एक पक्षीय युद्ध विराम (जब सरकार की Alertness कम) 9th TCOO रणनीति Tactical counter offensive campaign इस दौरान वह हर साल May- August के बीच पुलिस बलों व अर्द्ध सैनिक बलों पर हमले तेज कर देते हैं और जिन क्षेत्रों में सरकारी तंत्र उपस्थित ना हो, वहाँ दुष्प्रचार अभियान चलाते हैं और व्यक्तिगत भर्तियाँ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में नक्सली अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी संगठनों के साथ रणनीतिक संबंध बना रहे हैं।

North East में ULFA (United Liberation Front of assam)

कश्मीर :- आतंकी संगठन लश्कर ए तैय्यबा

श्रीलंका :-LTTE

ISI जैसी एजेंसियों के साथ भी धन प्रशिक्षण व तकनीकी व सैन्य सहायता के प्रमाण मिले हैं।

नक्सलियों ने अपने धन स्रोत को निरंतर बनाए रखने के लिए विविध स्रोत खोजे हैं -

1. खनन आय में हिस्सा
2. वनों से होने वाली आय में हिस्सा
3. अपहरण व सरकारी डकैती
4. स्थानीय संपत्तियों से Protection money (हफ्ता वसूली)
5. Human Trafficking (आदिवासियों की खरीद फरोख्त)
6. Drugs and arms trafficking
7. Real Estate कारोबार
8. भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन

कारण

1. Historical Reason British - वामपंथी विचारधारा विरासत, वर्ग विष भूमि सुधार कानून किसान - मजदूर संघर्ष, मालिक - मजदूर संघर्ष
2. Geographical Reason- भौगोलिक विलगता-शुद्ध बिजली, संचार नहीं, विकास का वंचन भौगोलिक जटिलता (पहाड, जंगल), त्रिबिंदु सिद्धांत
3. राजनीतिक कारण- नीतिगत विफलता, गंभीरता से ना लेना, आंतरिक समर्थन-कई राज्यों के मंत्रियों ने शाठगांठ
4. प्रशासनिक कारण- प्रशासनिक तंत्र का अभाव, प्रशासनिक शोषण, प्रशासनिक कार्य कुशलता का अभाव

- आर्थिक वचन- पिछडापन, विषमता
5. सांस्कृतिक वचन की भावना- बाहरी लोगों के प्रवेश के चलते
 6. कानूनी असंतोष- वन संरक्षण कानून, बहुउद्देश्य परियोजनाएँ, वन सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून
स्थानीय नेता, नक्सलवादी, भुना
 7. मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक कारण-सत्त्व, सहज लोग हैं (Brainwash) करना समाजिक, सांस्कृतिक आधार पर उत्तेजित करना आसान होता है, भावनात्मक रूप से विचार धारा से जोड़ना आसान हो जाता है
विचार धारा को देश विरुद्ध से देश हित में करना बहुत आवश्यक है।
 8. Demographic imbalance - Bangladesh शरणार्थी, रोहिंया मुस्लिमों की समस्या, नेपाली भूटान Nigrats (तिब्बत)

उत्तर-पूर्वी राज्यों में असंतोष उपरोक्त कारणों का सम्मिलित परिणाम है। स्वतंत्रता के समय हमने इस क्षेत्र में एक राज्य असम NEFA (North East frontier Agency) नामक संघशासित क्षेत्र का निर्माण किया। लेकिन शीघ्र ही नृजातीय आधार पर पृथक राज्य की माँग की जाने लगी। पहला आन्दोलन नागालैंड में शुरू हुआ और 1963 में नागालैंड स्वतंत्र राज्य बना। 1972 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा राज्य के रूप में स्थापित हुए।

1986 में - मिजोरम आन्ध्रप्रदेश को राज्य का दर्जा मिला इस प्रकार वर्तमान में हम जिन्हें 7 sisters कहते हैं, उनमें तीन राज्य नागालैंड, मणिपुर, असम अशांत राज्यों के रूप में हैं। त्रिपुरा व मिजोरम में प्रभावी राजनैतिक नेतृत्व में अपनी समस्याओं का समाधान किया है, जबकि मेघालय व आन्ध्रप्रदेश सीमित रूप से समस्या ग्रस्त हैं। प्रत्येक राज्य में असंतोष को समझने के लिए राज्यवार विश्लेषण आवश्यक है।

अरुणाचल प्रदेश - स्वतंत्रता के बाद NEFA के रूप में पहचाना गया। Union Territory का दर्जा मिला। प्रभावी प्रशासन व राजनैतिक स्थिरता के चलते यह अबाध से मुक्त रहा। लेकिन इस राज्य में स्थानीय असंतोष के कुछ कारण दिखाई दे रहे हैं।

1. चीन द्वारा अधिग्रहण - अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग-तीर्थ, चांगलिंग, लोंगदिंग (NSCN) इसे नागालैंड में शामिल करना चाह रही है।
2. (South) दक्षिणी भाग- लोहित व दिवांग- वामपंथी अबाध से परेशान है।
3. पश्चिमी भाग- भूटान से शरणार्थी
4. पूर्व - चीन अबाध
5. मध्य भाग - चकमा व हाजोंग शरणार्थी Local Tribes को परेशान कर रहे हैं, आन्ध्रप्रदेश के सस्ते Drug smuggling अंतकवादी Transit Route बन गया है। (AP) AASU ने चकमा व हाजोंग के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। (All Assam student Union)

मेघालय - मेघालय Transist Route बना हुआ है नक्सली आतंकवाद, मेघालय उत्तर-पूर्वी राज्यों में सबसे कम समस्याग्रस्त राज्य के रूप में है यद्यपि यह बांग्लादेश से प्रत्यक्ष सीमा साझा करता है, लेकिन बांग्लादेशी शरणार्थी मेघालय में बसने की बजाय उसका प्रयोग अशम बंगाल जाने के मार्ग के रूप में करते हैं। इस प्रकार मेघालय स्मगलिंग (तस्करी), ड्रग ट्रग ट्रेफिकिंग (मादक द्रव्यों का आवागमन) मानव तस्करी के मार्ग के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इससे मेघालय की सांस्कृतिक अस्थिरता पर भी संकट है। पहाड़ी आदिवासी बाहरी लोगों के आवागमन से भयक्रांत हैं। 1992 में Hill National Liberation Council बनी - (ये पहला उग्रवादी संगठन था) जिसका उद्देश्य था खासी क्षेत्रों में गारी या अन्य बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश रोकना। 2009 में GNLA. Garo National Libration Army बनी है जो गारी लैंड नामक इस संगठनों को अलग राज्य चाहता है।

MIZORAM :-

उत्तर-पूर्वी राज्यों की अशांति के बीच मिजोरम का राजनैतिक मॉडल एक आशा की किरण है। उल्लेखनीय है कि 1966 से 1986 के बीच मिजोरम सर्वाधिक अशांत राज्यों में से था। इसके कारण ये 1960 का अकाल, प्रशासनिक अनदेखी जैसे मातम कहते हैं। सरकार अस्वेदनशील बनी रही। 1966 में लाल डैंगनेतृत्व में MNF व Mizo National front बना। जिसने अलग देश की मांग की विलय को गलत बताया। 1966 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 2-दिन बाद स्वतंत्रता की घोषणा पर सेना हमले हुए, तब हवाई हमलों से जनता में भारी असंतोष आ गया। इसका लाभ

प्रभाव :-

1. शकारात्मक प्रभाव
2. नकारात्मक प्रभाव

1. शकारात्मक प्रभाव :-

1. नक्सलवादी आंदोलन ने भूमि के पुनर्वितरण को प्रभावी बनाया ।
2. भूमि सुधारों को नई दिशा दी है।
3. प्रशासनिक शोषण में कमी आई है।
4. सामाजिक अत्याचार व शोषण भी कम हुआ है।
5. वंचितों का शक्तिकरण हुआ है।
6. सामंतवादी मानसिकता पर प्रहार हुआ है।
7. कई जगहों पर राजनीतिक जवाबदेहिता भी बड़ी है- उपरोक्त बातें नक्सलवादी आंदोलन के प्रारंभिक दौर से प्रेरित हैं। 1990 के बाद यह आंदोलन अपनी मूल विचार धारा से पूर्णतः भटक गया। सर्वधरा गणतंत्र का लक्ष्य कही खो गया। पहले हिंसा ही साध्य है। और जिन वंचितों के लिए यह आंदोलन खड़ा किया गया था, उन्हीं का शोषण किया जाने लगा।

बाल संघम - 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नक्सली बनाने का प्रयास जब जब दर्दस्ती नक्सली बनाया जाता है।

नक्सलवादी आंदोलन की दुर्बलताएँ और Wall of defence की अवधारणाएँ (बच्चों व महिला को आगे छिपाने के लिए) जहाँ महिलाओं व बच्चों को सुरक्षा दीवार की तरह उपयोग किया जाता है। नक्सली

नेताओं की विलासिता, उनका वर्चस्वता का संघर्ष और उनकी गतिविधियों में बढ़ती कुरता, इन सब ने नक्सलियों के वैचारिक व आधारीक आधारों को कमजोर किया (नैतिक, सामाजिक व वैधानिक जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है) वर्तमान में नक्सलवाद राष्ट्रद्रोही आन्दोलन के रूप में है।

नकारात्मक प्रभाव :-


नक्सलवाद के नकारात्मक प्रभावों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है -

1. संप्रभुता को चुनौती
2. आंतरिक सुरक्षा को चुनौती
3. राष्ट्र विरोधी ताकतों को
4. संगठित अपराध की कडी
5. प्रशासनिक शून्यता
6. विकासात्मक गतिरोध
7. नरसंहार व शार्वजनिक संपत्तियों की क्षति
8. भय व आतंक का वातावरण
9. विधि के शासन पर प्रश्न चिन्ह

नक्सलवाद की दुर्बलताओं के बावजूद हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सके क्योंकि इससे निपटने से जुडी सरकारी रणनीति में अनेक कमियाँ रही हैं।

1. हमने इस समस्या की पहचान वर्गसंघर्ष के प्रति की ना कि राजद्रोह के रूप में।
2. दूसरी सबसे बडी समस्या वोट बैंक की राजनीति के लिए नक्सलियों को राजनीतिक पराजय
3. तीसरा नक्सलियों का कमजोर होने के दौर में प्रभावी कार्यवाही या प्रभावी रणनीति ना बना पाना।
- 4 नक्सलियों के रक्त स्रोत या धन पर नियंत्रण ना कर पाना।
- 5 नक्सलियों के वैचारिक समर्थकों के खिलाफ कठोर रणनीति ना होना।
- 6 नक्सलवाद की जघन्य घटनाओं के बावजूद (Counter attack) त्वरित जवाब न दिया जाना।
- 7 सेना के प्रयोग पर आपसी असहमति को नक्सलियों के समक्ष जाहिर करना।
- 8 खुफिया तंत्र की विफलता स्थानीय खुफिया तंत्र का विकास नहीं कर पाए।
- 9 सुरक्षा बलों व पुलिस के बीच समन्वय का अभाव
- 10 Interstate operation के बीच आपसी समन्वय का ना होना - विशेषकर त्रिशंघम राज्यों में
- 11 नक्सलियों के Sleepar cells का पता ना लगा पाना।
- 12 नक्सलियों से लडने के लिए सुरक्षा तंत्र में आधुनिकीकरण खुफियातंत्र के उन्नयन, और कार्मिकों के प्रशिक्षण की जरूरत है।

नक्सलवाद रोकने के सरकार का प्रयास -



CG राज्य में सलवा जुंडुम को नक्सलविरोधी जन आंदोलन के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शुद्धता का प्रयास

इसे स्थानीय लोगों द्वारा 'सबला' (सभी का अर्थात् सामूहिक शांति स्थापना का प्रयास भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के नेता थे - बस्तर के महेंद्र शर्मा थे, जिन्होंने नक्सलियों से नाराज स्थानीय आदिवासियों को हथियार बंद लेना के रूप में खडा किया। सरकार ने इसे नैतिक, आर्थिक व सामरिक समर्थन दिया। प्रारंभ में सलवा जुंडुम नक्सलवादियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना, लेकिन बाद में सलवा जुंडुम से जुड़े लोगों पर ही स्थानीय जनता के शोषण के आरोप लगने लगे। अर्थात् यह मुख्य विचारधारा से भटक गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गैर कानूनी बताते हुये, हथियार बंद लेना को अवैध या अशुद्ध मानिक करार दिया। तब तात्कालिक सरकार ने उन्हें विशेष पुलिस का दर्जा देकर वैधानिक मान्यता दिलवाई। इसके बावजूद यह आंदोलन 2012 के बाद मृतप्राय दिखता है।

इसकी विफलता के पीछे कारण थे -

1. विचारधारा से भटकाव
2. नक्सलियों के मुखौटा संगठनों द्वारा इनका विरोध
3. नक्सलियों द्वारा सलवाजुंडुम से जुड़े युवाओं के बीच दुष्प्रचार
4. महेंद्र शर्मा की हत्या के बाद नेतृत्वहीनता
5. नेतृत्व का संघर्ष